

### 1.1 इस प्रतिवेदन के सम्बंध में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन चयनित कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के निष्पादन लेखापरीक्षा तथा शासकीय विभागों एवं स्वायत्त निकायों के अनुपालन लेखापरीक्षा से सम्बन्धित है।

अनुपालन लेखापरीक्षा के अन्तर्गत लेखापरीक्षित इकाई के लेन-देनों से सम्बन्धित व्यय की जाँच की जाती है जिसमें यह निश्चित किया जाता है कि भारत के संविधान के प्रावधानों, विधियों, नियमों और विनियमों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों और दिशा-निर्देशों का पालन किया गया है। दूसरी ओर, निष्पादन लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा संचालित करने के अतिरिक्त यह भी जाँच करता है कि कार्यक्रम/गतिविधि/विभाग के उद्देश्य मितव्ययिता एवं प्रभावकारी रूप से प्राप्त हुए हैं।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों को राज्य विधायिका के संज्ञान में लाना है। लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार यह आवश्यक है कि रिपोर्टिंग का स्तर भौतिक रूप से समानुपातिक भार और लेन-देनों के परिणाम की प्रगति पर आधारित हो। यह अपेक्षा की जाती है कि लेखापरीक्षा परिणाम कार्यपालिका द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही, संस्थाओं के वित्तीय प्रबन्धन में सुधार हेतु नीति निर्धारण एवं दिशा-निर्देशों में सहायक होंगे जोकि एक अच्छे शासन व्यवस्था में सहयोग करती है।

इस अध्याय में लेखापरीक्षा के नियोजन एवं विस्तार की व्याख्या करने के अतिरिक्त चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण कमियों का सारांश, लेन-देन की लेखापरीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अनुपालन तथा पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का उल्लेख है। जबकि अध्याय-2 में निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अध्याय-3 में शासन के विभिन्न विभागों और स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणामों का उल्लेख किया गया है। अध्याय-4 में उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट-माप विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा के परिणाम दिए गये हैं।

### 1.2 लेखापरीक्षित इकाईयों की रूप-रेखा

प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद<sup>1</sup>, राज्य के सचिवालय स्तर पर 71 विभागों जो मुख्य सचिव/प्रमुख सचिवों/सचिवों जिन्हें विशेष सचिवों, उप सचिवों एवं निदेशकों तथा उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सहायता प्राप्त है तथा 43 स्वायत्त निकाय द्वारा सामान्य एवं सामाजिक सेवाओं के अधीन किए गए व्ययों की लेखापरीक्षा निष्पादित करते हैं।

राज्य सरकार के वर्ष 2011-12 की अवधि के व्ययों के साथ-साथ विगत दो वर्षों के व्ययों की तुलनात्मक स्थिति को सारणी 1 में दर्शाया गया है।

<sup>1</sup> कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद का नाम परिवर्तित होकर दिनांक 1 अप्रैल 2012 से कार्यालय प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद हो गया है।

सारणी 1 : वर्ष 2009-12 में व्यय की तुलनात्मक स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10			2010-11			2011-12		
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
सामान्य सेवाएँ	824.29	39,817.01	40,641.30	987.34	47,031.83	48,019.17	601.73	52,345.19	52,946.92
सामाजिक सेवाएँ	10,998.49	21,065.79	32,064.28	15,829.56	23,737.14	39,566.70	17,609.59	29,781.35	47,390.94
आर्थिक सेवाएँ	3,878.40	9,429.60	13,308.00	4,222.63	11,502.40	15,725.03	4,404.60	13,887.61	18,292.21
सहायक अनुदान	---	3,360.03	3,360.03	-	4,364.71	4,364.71	---	5,255.10	5,255.10
<b>योग (1)</b>	<b>15,701.18</b>	<b>73,672.43</b>	<b>89,373.61</b>	<b>21,039.53</b>	<b>86,636.08</b>	<b>1,07,675.61</b>	<b>22,615.92</b>	<b>1,01,269.25</b>	<b>1,23,885.17</b>
पूँजीगत परिव्यय (2)	19,224.48	5,866.75	25,091.23	19,581.08	691.72	20,272.80	20,735.10	838.86	21,573.96
ऋण एवं अग्रिम भुगतान (3)	209.23	732.62	941.85	617.28	350.94	968.22	414.48	561.09	975.57
लोक ऋणों का भुगतान (4)	---	7,668.59	7,668.59	---	7,383.08	7,383.08	---	8,287.61	8,287.61
समेकित निधि से किया गया कुल भुगतान (1+2+3+4)	35,134.89	87,940.39	1,23,075.28	41,237.89	95,061.82	1,36,299.71	43,765.50	1,10,956.81	1,54,722.31
आकरिमकता निधि	---	---	---	---	39.90	39.90	---	309.64	309.64
लोक लेखा संवितरण	---	1,01,780.30	1,01,780.30	---	1,17,472.99	1,17,472.99	---	1,30,970.76	1,30,970.76
<b>योग</b>	<b>35,134.89</b>	<b>1,89,720.69</b>	<b>2,24,855.58</b>	<b>41,237.89</b>	<b>2,12,574.71</b>	<b>2,53,812.60</b>	<b>43,765.50</b>	<b>2,42,237.21</b>	<b>2,86,002.71</b>

### 1.3 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 में लेखापरीक्षा का प्राधिकार निहित है। प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13, 14, 15, 19 और 20 के अंतर्गत सामान्य और सामाजिक सेवाओं एवं स्वायत्त निकायों के व्ययों की लेखापरीक्षा की गयी। अनुपालन लेखापरीक्षा के सिद्धान्त और क्रियाविधि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत मैनुअलों में वर्णित हैं।

### 1.4 प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट) उत्तर प्रदेश के कार्यालय के संगठन की संरचना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के दिशा-निर्देशों के अधीन प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा सरकारी विभागों/कार्यालयों/स्वायत्त निकायों और जनरल एवं सोशल सेक्टर के अधीन संस्थाएँ जो कि पूरे राज्य में कार्यरत हैं, लेखापरीक्षा सम्पन्न की जाती है। इन कार्यों में प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट) को पाँच वर्गाधिकारियों द्वारा सहयोग दिया जाता है।

वर्ष 2011-12 के मध्य 130 लेखापरीक्षा दलों द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधीन चयनित इकाईयों, स्वायत्त निकायों, वाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं इत्यादि के लेन-देनों का लेखापरीक्षण किया गया।

### 1.5 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा की प्रक्रिया राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/संस्थाओं/स्वायत्त निकायों एवं योजनाओं/परियोजनाओं आदि में निहित जोखिम अनुमानों से प्रारम्भ होती है जोकि उनके व्ययों, क्रिया-कलापों की जटिलताओं, वित्तीय अधिकारों की सीमा, आन्तरिक नियंत्रण की प्रणाली तथा सम्बंधित लोगों की प्राथमिकताओं पर आधारित होती है। इस प्रक्रिया में पूर्व लेखापरीक्षा के परिणामों पर भी विचार किया जाता है।

वर्ष 20011-12 के दौरान विभिन्न विभागों/संस्थाओं की 6,510 इकाइयों के विरुद्ध 1,354 इकाइयों की लेखापरीक्षा, 10,774 दल-दिवसों का उपयोग करके किया गया। आडिट प्लान में उन इकाइयों का आच्छादन किया गया जोकि जोखिम की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी गयी थी।

### 1.6 निष्पादन लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि सरकार की योजनाओं के वांछित उद्देश्य न्यूनतम मूल्य पर प्राप्त कर लिये गये हैं तथा अभीष्ट लाभ लोगों तक पहुँच गये हैं।

इस प्रतिवेदन में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा का परिणाम, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट-माप विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा एवं हाई डेन्सिटी पोलीएथिलीन पाइप पर वृहद प्रस्तर सम्मिलित है। निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य बिन्दु नीचे वर्णित हैं:

#### 1.6.1 ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की कार्यप्रणाली

यद्यपि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का गठन "शासन द्वारा सौंपे गये समस्त ग्रामीण निर्माण कार्यों के संपादन" के उद्देश्य से किया गया था फिर भी, विभाग को ग्रामीण विभाग के "समस्त" कार्य सौंपे नहीं गये थे। शासन द्वारा विभाग को कोई कार्य नहीं सौंपा गया क्योंकि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को दो विभागों के निर्माण कार्यों को सौंपे जाने का निर्णय लिया जाना था। विभाग द्वारा परस्पेक्टिव योजना, वार्षिक योजना एवं लक्ष्य निर्धारण करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया था। प्लान बजट एवं कम्प्यूटरीकरण और कार्यों के संपादन में समन्वय का अभाव था। निक्षेप धनराशि का प्रबन्धन वित्तीय नियमों के अनुरूप नहीं था क्योंकि निक्षेप धनराशि से अधिक व्यय, अधिक निक्षेप का अप्राधिकृत रूप से अवरोधन, भण्डार के लाभ एवं हानि को लेखांकित नहीं करने का प्रकरण सभी चयनित प्रखण्डों में पाया गया जो कि कमजोर और अप्रभावी वित्तीय प्रबंधन का द्योतक था। कार्यों को सौंपे जाने की व्यवस्था त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि कार्यों में प्रशासनिक स्वीकृति के पूर्व तकनीकी स्वीकृति का जारी किया जाना, बिना तकनीकी स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ किया जाना, अल्पकालीन निविदा पर कार्य कराया जाना, एकल निविदा एवं चयन अनुबन्ध के आधार पर कार्य का संपादन, सिक्यूरिटी डिपाजिट की कम वसूली तथा जाली सिक्यूरिटी डिपाजिट के कई प्रकरण पाये गये थे। कार्य निष्पादन में स्वीकृत विशिष्टियों का उल्लंघन, अतिरिक्त मदों पर अनियमित भुगतान एवं सीसी मार्ग एवं केसी ड्रेन के निर्माण पर अनियमितताओं के साथ-साथ अपर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण भी परिलक्षित हुई। इसके अतिरिक्त मानव संसाधन का प्रबन्धन त्रुटिपूर्ण एवं अप्रभावी था क्योंकि अधिकतर कार्यकारी एवं पर्यवेक्षकीय पदों का संचालन निचले काडर के अधिकारियों को प्रभारी के रूप में नामित

करके किया जा रहा था। मुख्य अभियंताओं एवं अधीक्षण अभियंताओं द्वारा किया गया निरीक्षण मानक से कम था एवं अनुपालन की कार्यवाही नहीं किये जाने से किया गया निरीक्षण अप्रभावी था।

(प्रस्तर 2.1)

### 1.6.2 हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाइप का क्रय एवं कृषकों को वितरण

योजनाओं की बहुतायत (छः योजनाएँ) और इन योजनाओं का दो विभागों द्वारा क्रियान्वयन किये जाने के दृष्टिगत एक समन्वित नियोजन का तन्त्र होना आवश्यक था। फिर भी, योजना क्रियान्वयन के सभी पहलू यथा—वित्तीय प्रबन्धन, लाभार्थियों के चयन, हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाइप का क्रय, वितरण एवं गुणवत्ता नियंत्रण में नियोजन तन्त्र कमजोर था। बचत, समर्पण और व्यावर्तन के दृष्टान्त, शिथिल बजटीय नियंत्रण की ओर इंगित करते थे। कृषकों को हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाइप के अधिक वितरण एवं दोहरे वितरण के प्रकरण भी प्रकाश में आये। कृषि विभाग में गुणवत्ता नियंत्रण का अभाव था। लघु सिंचाई विभाग में कथित रूप से लागू कठोर गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था का पालन नहीं किया जा रहा था।

(प्रस्तर 2.2)

### 1.6.3 उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट-माप विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा

विभाग की अनुदेशित प्रवर्तन गतिविधियाँ तदर्थ आधार पर की जा रही थी क्योंकि विभाग की गतिविधियों एवं उपयोगकर्ताओं के परिसरों में निरीक्षणों इत्यादि को परिभाषित करने वाली संदर्श योजना एवं वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी। विभाग ने बाट एवं माप के उपयोगकर्ताओं का डेटाबेस नहीं बनाया था। मूल कार्यों के कर्मचारियों जो विभाग के प्रवर्तन गतिविधियों के लिए उत्तरदायी थे, की कमी थी। भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता के बावजूद केन्द्रों/प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण नहीं किया गया था तथा इसके लिए कोई कार्य योजना भी नहीं बनायी गयी थी जिसके कारण सहायता अधिकतर अप्रयुक्त रही। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अपर्याप्त थी क्योंकि न तो आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा का गठन किया गया था और न ही अनुश्रवण तन्त्र प्रभावी था। विगत पाँच वर्षों में बाट एवं माप के अनिवार्य सत्यापन के साथ उनके प्रयोगकर्ताओं के परिसर में निरीक्षण में कमी का रुझान था तथा अत्यधिक प्रकरण निर्णय हेतु न्यायालय में लम्बित थे।

(प्रस्तर 4)

### 1.7 अनुपालन लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

लेखापरीक्षा द्वारा जटिलता भरे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कमियाँ पायी गयी जोकि राज्य सरकार के प्रभावकारिता पर असर डालती है। अनुपालन लेखापरीक्षा के अन्तर्गत 27 महत्वपूर्ण प्रस्तरों को भी प्रतिवेदित किया गया है। महत्वपूर्ण प्रस्तर सम्बंधित हैं:

- नियमों और विनियमन का अनुपालन न किया जाना;
- औचित्य लेखापरीक्षा और पर्याप्त औचित्य के बिना व्ययों के प्रकरण;
- असावधानी/नियंत्रण की कमी; एवं
- सतत् और व्यापक अनियमितताएँ ।

### 1.7.1 नियमों और विनियमनों का अनुपालन न किया जाना

उचित वित्तीय प्रशासन और नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्ययों के लिए वित्तीय नियम, विनियमन और आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। यह वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के लिए सहायक होता है एवं अनियमितता, दुर्विनियोग और धोखाधड़ी को रोकता है। इस खण्ड में नियमों और विनियमनों का अनुपालन न किये जाने के प्रकरणों को इंगित किया गया है जिनमें से कुछ प्रकरणों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है:

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद अध्ययन बोर्ड का गठन न किये जाने के कारण विश्वविद्यालय अध्ययन सामग्रियाँ तैयार करने में विफल रहा जिससे उसके द्वारा वर्ष 1999-2008 के मध्य ₹ 95.80 लाख की धनराशि का परिहार्य व्यय किया गया एवं ₹ 2.31 करोड़ की धनराशि का अभुक्त दायित्व सृजित ( नवम्बर 2012) हुआ।

(प्रस्तर 3.1.1)

मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा 110.496 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में दोषपूर्ण निर्णय के कारण हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड से प्राप्त ऋण को वापस किया गया तथा उस पर भुगतानित ब्याज से शासन को ₹ 6.91 करोड़ की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.1.2)

चौधरी चरण सिंह अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के परिवर्तित स्थान मेरठ में निर्माण की पुनरीक्षित परियोजना व्यय-वित्त समिति द्वारा अनुमोदित न होने के कारण इसके निर्माण इत्यादि पर किया गया ₹ 11.10 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

(प्रस्तर 3.1.3)

वास्तविक ठेकेदार के बिलों पर दूसरे ठेकेदार के पक्ष में ₹ 3.61 लाख का भुगतान तथा पुनः वास्तविक ठेकेदार को बिना किसी वाउचर के ₹ 3.61 लाख के भुगतान के कारण कपटपूर्ण भुगतान हुआ।

(प्रस्तर 3.1.4)

ठेकेदारों के बिलों से रायल्टी की वसूली न करने के कारण शासन को ₹ 1.04 करोड़ की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.1.5)

रिलायंस ईनर्जी जेनरेशन लिमिटेड को अनुचित लाभ दिये जाने से शासन को ₹ 103.94 करोड़ की क्षति हुई। इसके अतिरिक्त, ऊपरी गंगा नहर के लाइनिंग कार्य पर अभी तक अदा न की गई ₹ 8.15 करोड़ की देनदारी भी सृजित की गई।

(प्रस्तर 3.1.7)

नकद साख सीमा जो ठेकेदारों के बिलों से आयकर, व्यापार कर, वैट, रायल्टी और स्टाम्प ड्यूटी के रूप में वसूली गई धनराशि को कोषागार में प्रेषण हेतु प्राधिकृत थी, का कार्यों, जिनके लिये बजटीय प्रावधान नहीं था, के भुगतान हेतु दुरुपयोग किया गया था जिसके कारण ₹ 1.22 करोड़ की अतिरिक्त देयता सृजित हुई।

(प्रस्तर 3.1.8)

जनपद उन्नाव में संडीला-रसूलाबाद-चकलवंशी मार्ग के दो लगातार भागों पर कार्य की स्वीकृति से पूर्व निविदा आमंत्रण कर अविवेकपूर्ण अनुबंध करने के कारण ₹ 0.95 करोड़ की क्षति हुई।

(प्रस्तर 3.1.10)

वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग, सोनभद्र के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के आगणन में टिपर पाँच घनमीटर क्षमता की अनियमित उच्च दर प्रावधान के कारण ₹ 1.13 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

(प्रस्तर 3.1.12)

इण्डियन रोड कांग्रेस के दिशा-निर्देश एवं कन्सल्टेन्ट फर्म की संस्तुतियों के उल्लंघन के कारण महंगी विशिष्टियों के उपयोग के परिणामस्वरूप ₹ 7.63 करोड़ का परिहार्य व्यय।

(प्रस्तर 3.1.13)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, रायबरेली के अंतर्गत दिए गए सड़क निर्माण कार्य हेतु ₹ 38 लाख की फर्जी बैंक गारण्टी स्वीकार किए जाने से ठेकेदार पर अधिरोपित ₹ 1.75 करोड़ का अर्थदण्ड वसूल नहीं हुआ।

(प्रस्तर 3.1.15)

### 1.7.2 औचित्य लेखापरीक्षा और पर्याप्त औचित्य के बिना किये गये व्ययों के प्रकरण

लोक निधि से प्राधिकृत होने वाले व्यय औचित्य और लोक व्ययों की प्रभावकारिता के सिद्धान्तों द्वारा निर्देशित होते हैं। व्यय हेतु प्राधिकृत प्राधिकारी जिसे व्यय के लिए प्राधिकृत किया गया है, से यह अपेक्षित है कि वह धन का व्यय उतनी ही सतर्कता के साथ करें जितना कि एक सामान्य व्यक्ति अपने धन के व्यय में करता है। लेखापरीक्षा जाँच में अनौचित्यपूर्ण और अधिक व्यय के प्रकरण आये थे जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम नीचे दिये गये हैं:

किसान मित्र योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 की अवधि में 7,448 किसान मित्रों को अनियमित रूप से परिनियोजित कर ₹ 10.90 करोड़ मानदेय के रूप में भुगतानित व्यय निष्फल हुआ।

(प्रस्तर 3.2.1)

शासन के असफल और असंगत निर्णय से गौतम बुद्ध नगर में कारागार भवन के निर्माण हेतु भूमि की खरीद पर ₹ 107.46 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

(प्रस्तर 3.2.3)

शासन द्वारा 'कार्य का क्षेत्र' तैयार करने में विफल रहने के कारण, बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के सात वर्ष पश्चात भी पंचायती राज संस्थाओं की निधियों से संबंधित डाटा बेस नहीं विकसित किये गये। इसके अतिरिक्त ₹ 62.49 करोड़ की निर्दिष्ट धनराशि में से ₹ 62.37 करोड़ का विचलन अन्य योजनाओं पर किया गया।

(प्रस्तर 3.2.4)

### 1.7.3 असावधानी/नियंत्रण की कमी

सरकार की यह बाध्यता है कि वह लोगों की स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र अवस्थापनाओं का विकास और उच्चीकरण, लोक सेवा इत्यादि की गुणवत्ता में सुधार करे। लेखापरीक्षा के संज्ञान में ऐसे प्रकरण आये जिसमें सरकार द्वारा लोक सम्पत्तियों को बनाने हेतु दी गयी धनराशि का उपभोग नहीं किया गया अथवा अवरूद्ध रखा गया या फिर अलाभकारी/अनुत्पादक व्यय प्रशासनिक नियंत्रण की कमी और असावधानी तथा ठोस निर्णयों का विभिन्न स्तरों पर अभाव रहने के कारण हुई थी। लेखापरीक्षा जाँच में असावधानी/नियंत्रण की कमी के प्रकरण प्रकाश में आये थे जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिये जा रहे हैं:

जनपद गौतम बुद्ध नगर में पशु पॉलीक्लीनिक हेतु विवादित भूमि की खरीद पर किया गया ₹ 9.56 करोड़ का व्यय अलाभकारी सिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त, चार वर्षों से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात भी पशु पॉलीक्लीनिक स्थापित करने का उद्देश्य अप्राप्त रहा।

(प्रस्तर 3.3.1)

जनपद अम्बेडकर नगर के जलालपुर में स्थानीय लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 20 शैय्यायुक्त प्रसूति केन्द्र के निर्माण पर किया गया ₹ 1.41 करोड़ का व्यय पदों की स्वीकृति न होने तथा आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदानों के अवमुक्त न किये जाने के कारण अलाभकारी रहा।

(प्रस्तर 3.3.3)

जनपद अलीगढ़ के अतरौली में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सालय भवन एवं मेडिकल तथा पैरामेडिकल कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन के निर्माण पर वर्ष 2006-13 (जनवरी 2013) के मध्य किया गया ₹ 5.79 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

(प्रस्तर 3.3.4)

सेतु एवं संपर्क मार्ग के निर्माण कार्य पर ₹ 3.36 करोड़ का अलाभकारी व्यय।

(प्रस्तर 3.3.5)

शासन द्वारा कार्यवाही न करने अथवा विलम्बित कार्यवाही के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं हेतु असित इण्टर कालेज, इटावा तथा अभियान्त्रिकी एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद में दो छात्रावासों के निर्माण पर किया गया ₹ 1.59 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा। इसके अतिरिक्त, लक्षित लाभार्थियों (छात्राओं) को निःशुल्क छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई।

(प्रस्तर 3.3.6)

लाभार्थियों से निर्धारित अंशदान की वसूली न किये जाने के कारण जनपद औरैया में 1,092 आवासीय इकाईयों (पूर्ण : 576 ; अपूर्ण : 516) के निर्माण पर ₹ 22.68 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

(प्रस्तर 3.3.7)

### 1.7.4 सतत् और व्यापक अनियमितताएँ

यदि अनियमितताएँ वर्ष प्रति वर्ष होती रहती हैं तो वह सतत् अनियमितता है और जब वह पूरी प्रणाली में विद्यमान हो जाती है तब वह व्यापक अनियमितताएँ हैं। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर भी बार-बार अनियमितताओं का होना यह प्रदर्शित करता है कि कार्यपालिका की तरफ से ढिलाई बरती गयी तथा प्रभावी अनुश्रवण की कमी रही। यह संकलित रूप से नियमों/नियमन के पालन में इच्छापूर्वक विचलन को बढ़ावा देती है तथा परिणामस्वरूप प्रशासनिक ढाँचे को कमजोर करती है। लेखापरीक्षा में देखे गये सतत् और व्यापक अनियमितता के प्रकरण नीचे दिये जा रहे हैं:

*अनुचित स्थल चयन के कारण सेतु, पहुँच मार्ग एवं गार्ड बन्धों के निर्माण पर ₹ 5.95 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा। बिना पहुँच मार्ग के बारह वर्षों से अधिक समय से सेतु झूल रहा था।*

(प्रस्तर 3.4.1)

### 1.8 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार का रुझान

#### 1.8.1 लेखापरीक्षा के प्रति रुझान की कमी

सभी इकाइयों के लेखापरीक्षा के सम्पूर्ण होने के बाद निरीक्षण प्रतिवेदन जिसमें प्रस्तरों के रूप में लेखापरीक्षा के निष्कर्ष मौजूद होते हैं, इकाई/विभाग के प्रमुख को निर्गत किए जाते हैं। इकाइयों को निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के एक माह के भीतर लेखापरीक्षा निष्कर्ष का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना होता है। प्रत्युत्तर की प्राप्ति पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष को या तो निस्तारित किया जाना चाहिए था या अनुपालन के लिए आगे की कार्यवाही की जानी थी। निरीक्षण प्रतिवेदन में उठे लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए संसाधित किया जाता है।

पुनः, मार्च 2012 तक 5,389 निरीक्षण प्रतिवेदनों, जिसमें 18,836 प्रस्तर थे, में से 2,684 निरीक्षण प्रतिवेदनों (जिसमें 10,285 प्रस्तर थे) के प्रथम उत्तर भी नहीं प्राप्त हुए थे। मार्च 2010, मार्च 2011 और मार्च 2012 के अंत तक लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं प्रस्तरों की स्थिति को सारणी 1.1 में दर्शाया गया है।

सारणी 1.1: अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों और प्रस्तरों की स्थिति

विवरण	वर्ष के अन्त तक लम्बित		
	मार्च 2010	मार्च 2011	मार्च 2012
निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	4,410	5,712	5,389
प्रस्तरों की संख्या	13,592	18,073	18,836

सारणी से यह ज्ञात हुआ कि अनिस्तारित प्रस्तरों की संख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति थी। निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रस्तरों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 1.1 में दर्शित है।

निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रस्तरों में कार्यवाही की कमी के परिणामस्वरूप वित्तीय अनियमितताएँ जारी रही।

#### 1.8.2 आलेख्य निष्पादन समीक्षाओं और लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर प्रत्युत्तर

लेखापरीक्षा निष्कर्ष की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए आलेख्य निष्पादन समीक्षा और लेखापरीक्षा प्रस्तरों को सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को छः सप्ताह



के अन्दर प्रत्युत्तर भेजने के अनुरोध के साथ प्रेषित किये जाते हैं। यह बात उनके व्यक्तिगत संज्ञान में लायी जाती है कि ऐसे प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जा सकता है जिसे उत्तर प्रदेश विधान मंडल के पटल पर रखा जाता है। अतः सम्बन्धित प्रकरणों पर उनकी टिप्पणी वांछित है। उन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए प्रस्तावित आलेख्य निष्पादन समीक्षाओं/लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर प्रधान महालेखाकार से परिचर्चा की भी सलाह दी जाती है।

मई से दिसम्बर 2012 की अवधि में, दो आलेख्य निष्पादन समीक्षाओं, 27 आलेख्य प्रस्तरों एवं एक वृहद् प्रस्तर को सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिवों/सचिवों को प्रेषित किये गये थे। नवम्बर 2012 से फरवरी 2013 के मध्य चर्चा हेतु गोष्ठी आयोजित की गयी थी। सभी आलेख्य निष्पादन समीक्षाओं एवं वृहद् प्रस्तर के प्रत्युत्तर प्राप्त किये गये एवं उन्हें यथोचित सम्मिलित किया गया। यद्यपि केवल नौ आलेख्य प्रस्तरों के संदर्भ में उत्तर प्राप्त हुये थे, इन उत्तरों को आलेख्य प्रस्तरों में उचित रूप से सम्मिलित किया गया।

### 1.8.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के बाद की कार्यवाही

लोक लेखा समिति के समक्ष मार्च 2012 के अंत में 1,002 प्रस्तर/समीक्षाएँ चर्चा हेतु लंबित थे। ये प्रस्तर/समीक्षाएँ वर्ष 1983-84 से 2009-10 (वर्ष 1997-98, 2002-03, 2004-05 एवं 2005-06 को छोड़कर) से सम्बन्धित थे। वर्ष 2008-09 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तरों/समीक्षाओं पर लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा प्रगति पर थी एवं उनमें से 2009-10 के प्रतिवेदनों को चर्चा हेतु लिया जाना शेष था।